न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/6058/2002/बारां

जानकीलाल पुत्र अमरलाल, जाति धाकड, निवासी समसपुर, तहसील व जिला बारां।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. रामनिवास
2. धनरुप
3. रामलाल
4. शांति लाल
5. श्योजीराम
6. रणजीत

पुत्रान अमरलाल, जाति धाकड, निवासी समसपुर, तहसील व जिला बारां।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

.....रैस्पो0

8. श्रीमती द्वारका बाई
9. श्रीमती शान्ति बाई
10. श्रीमती रोशन बाई

पुत्र अमरलाल, जाति धाकड, निवासी समसपुर, तहसील व जिला बारां।

.....तरतीबी रैस्पो0

खण्ड – पीठ

श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः – 05.07.2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 974/2001 शीर्षक रामनिवास बनाम जानकीलाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2002 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/अपीलार्थी द्वारा सहायक कलक्टर, बारां के न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया कि ग्राम समसपुर स्थित आराजी खसरा नम्बरान 84/0.17, 147/0.73, 181/0.04, 202/0.47, 421/0.37, 548/0.78, 660/1.85, 673/2.15, 676/0.06 अमरलाल के कब्जे काश्त खातेदारी की है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 का 1/11 हिस्सा है। गाम समसपुर में ही स्थित आराजी खसरा नम्बर 353/1.27, 354/0.55, 355/0.03, 358/0.88, 359/0.06, 361/0.04, 365/0.02, 366/0.83 के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं और प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है। पक्षकारान के मध्य उक्त आराजी का इसी अनुसार विभाजन किया जाये। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत किया

कि वादी अपने हिस्से को पहले ही प्राप्त कर चुका है और 32 वर्ष पूर्व ही अपने पिता अमरलाल से अलग हो गया था। अतः दावा वादी खारिज किया जाये। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, प्रथम, बारां ने निर्णय दिनांक निर्णय दिनांक 11–06–2001 से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 24–07–2002 से अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया है, उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

4– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी–वादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 84/0.17, 147/0.73, 181/0.04, 202/0.47, 421/0.37, 548/0.78, 660/1.85, 673/2.15, 676/0.06 अमरलाल के कब्जे काश्त खातेदारी की है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 का 1/11 हिस्सा है। गाम समसपुर में ही स्थित अमरलाल के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 353/1.27, 354/0.55, 355/0.03, 358/0.88, 359/0.06, 361/0.04, 365/0.02, 366/0.83 के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं और प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है। अपीलार्थी व रैस्पो0 अमरलाल के वारिसान होने से अपीला0 व रैस्पो0 के नाम होनी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मियाद बाहर प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार कर गलत प्रकार से परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया है। परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रकिया संहिता की पालना किये बिना ही अपना निर्णय पारित किया है, जब कि अपीलीय न्यायालय को प्रत्येक बिन्दु पर अपनी फाइंडिंग देनी चाहिए थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्लीडिंग्स से बाहर जाते हुये यह अंकित किया है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किए वकालतनामे व वादपत्र पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं जब कि वादी के ही हस्ताक्षर हैं। विवादित आराजी सह खातेदारी की आराजी है और वादी को कभी भी अलग से कोई जमीन या सोना आदि बॅटवारे में पिता के द्वारा नहीं दिया गया है, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपंजीकृत लिखावट प्रदर्श ए.1 के आधार पर वादी द्वारा अपना हिस्सा पूर्व में प्राप्त कर लिया जाना गलत प्रकार से माना है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि पैतृक व सह खातेदारी की आराजी में प्रत्येक सह खातेदार का समान हक हिस्सा होता है और अधीनस्थ न्यायालय ने पैतृक भूमि होने से बॅटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों व प्लीडिंग्स से बाहर जाते हुये नया केस बनाते हुये अपंजीकृत दस्तावेज को आधार मानते हुये गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है, अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जाये।

6– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि में वादी का हिस्सा नहीं है। वादी पिता के जीवनकाल में ही अपना हिस्सा ले कर अलग ले चुका है। इस आशय की एक तहरीर भी दिनांक 6–7–1988 को लिखी गई है। पारिवारिक समझौता होने से इस प्रकार से अपंजीकृत दस्तावेज को भी साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलार्थी की साक्ष्य से ही यह प्रमाणित हो जाता है कि वादी जानकीलाल द्वारा अपने हिस्से में ढाई बीघा भूमि तथा जेवरात प्राप्त कर लिये थे और शेष भूमि पर अपना हिस्सा तर्क करा लिया था। जानकीलाल के बयान पी0ड0 1में स्वयं स्वीकार किया है कि "दावे पर व वकालतनामा पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। ए टू बी मेरे हस्ताक्षर नहीं है।" अतः स्पष्ट है कि दावे व वकालतनामा पर वादी के हस्ताक्षर नहीं होने से तो वादी का वाद ही परीक्षण न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं था। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

8– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष घोषणा व विभाजन का जो वाद प्रतिवादी/रैस्पो0 पक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया है उसमें मुख्य रुप से यही उज्र लिया गया है कि "वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के पिता अमरलाल की है जिसमें सभी का हक हिस्सा निहित है, अतः पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये"। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में अनुतोष सहित कुल 5 तनकियात कायम की हैं और प्रत्येक तनकी को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवेचित करते हुये वादी के पक्ष में प्राथमिक डिक्री जारी की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया है किन्तु तनकीवार विवेचन किये बिना ही अपना निर्णय पारित किया गया है। आदेश 41 नियम 31 सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और इसमें **क.** अवधार्य प्रश्न **ख.** उन पर विनिश्चय **ग.** विनिश्चय के कारण और **घ.** जहॉ वह डिक्री जिसकी अपील की गई है उलट दी जाती है या उसमें फेरफार किया जाता है वहां वह अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है, कथित होगा। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के अनुसरण में तनकीवार विवेचन पारित नहीं किया है। इसके अलावा प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में रैस्पो0 संख्या–1 के बयानों के आधार बनाते हुये अंकित किया है कि "रैस्पो0 संख्या–1 ने दावे और वकालतनामा पर हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। इस प्रकार रैस्पो0 संख्या–1 का दावा परीक्षण

न्यायालय में किस प्रकार मैंटेनेबल हो सकता है?" किन्तु पत्रावली में उपलब्ध पी0.ड0 1 बयान जानकीलाल के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपने बयानों में जानकीलाल ने कहीं अंकित नहीं किया है कि दावे और वकालतनामा पर हस्ताक्षर उसके नहीं हैं बल्कि अपने बयानों में उसके द्वारा यही अंकित किया गया है कि "प्रदर्श ए.1 तहरीर मैने नहीं लिखवाई है। इस पर मेरे हस्ताक्षर भी नहीं है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्लीडिंग्स से बाहर जाते हुये दावे व वकालतनामे पर वादी/अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं होने का तथ्य निर्णय में अंकित किया है। दावा दायरी के बाद विधिवत वादी के बयान रिकार्ड किये गये हैं, दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं और विधिवत तनकियात कायम की गई हैं, अतः ये कैसे सम्भव हो सकता है कि वादी द्वारा वाद दायर नहीं किया गया हो या वकालतनामा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हों। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दावा खारिज करने हेतु दूसरा बिन्दु अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझौता (प्रदर्श–1) यद्यपि पंजीकृत नहीं है तो भी यह दस्तावेज पजैसन की साक्ष्य के रुप में पढा जा सकता है। यह न्यायालय इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है क्योंकि यह दस्तावेज न तो पंजीबद्ध है और ना ही duly stamped है। वादी/रैस्पो0 ने भी इस पर स्वयं के हस्ताक्षर करने से मना किया है। इस प्रकार प्रकरण के समग्र अवलोकन, अध्ययन उपरान्त हमारा मत है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का पालना किए बिना व रिकार्ड व प्लीडिंग्स से बाहर जाते हुये अपना निर्णय पारित किया है, जिसमें उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर पर पुनः परीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है।

9– फलतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है और भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2002 निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि परीक्षण न्यायालय के स्तर पर जो विवाद्यक कायम किये गये हैं उन पर विस्तार से विवेचन करते हुये, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के अनुसरण में विधिसम्मत रुप से रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित करें। उभय पक्ष दिनांक 05.08.2019 को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य